**बैंकों में घोटाला**

3217. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक आफ बड़ोदा, केनरा बैंक सिन्डिकेट बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक तथा इन्डियन ओवरसीज बैंक में बड़ी संख्या में घोटाले के मामले सरकार की जानकारी में आये है और उनकी जांच कराई गई है ,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक में कितने-कितने रुपये के कितने घोटाले के मामले हुए है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन बैंकों की शाखायें विदेशों में भी है ,

(घ) किन-किन देशों में कितने-कितने रुपये के घोटाले के मामलों का पता लगाया गया है , और

(ङ) जांच के बाद कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :** (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1985, 1986 और 1987 (30-9-87 तक) के दौरान बैंक आफ बड़ोदा केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के संबंध में धोखाधड़ियों के मामलों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि से संबंधित सूचना घटना की तारीख चाहे जो भी हो, विवरण में दी गई है (**नीचे देखिये**) ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 30-11-87 को बैंक आफ बडौदा की विदेशों में 50, इंडियन ओवरसीज बैंक की 11 शाखाएं हैं और लंदन में केनरा बैंक तथा सिंडिकेट बैंक की एक-एक शाखा है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक की यूनाइटेड किंगडम में एक शाखा थी जिसे दिनांक 1-2-1987 से बैंक आफ बड़ोदा ने अपने अधिकार में ले लिया है ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निम्नलिखित कर्मचारियों को सजा दी गई है :—

| | 1985 | 1986 | 1987 (30-9-87 तक) |
|---|---|---|---|
| (1) दोषसिद्ध कर्मचारियों की संख्या | 11 | 10 | 5 |
| (2) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बड़ा/छोटा दण्ड दिया गया | 150 | 115 | 78 |
| (3) उपर्युक्त (2) में से बर्खास्त किए गए/सेवामुक्त किए गए/सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या | 64 | 74 | 36 |

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1985, 1986, 1987 (30 9 87 तक) के वर्षों में बैंक आफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सिंडीकेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के संबंध में धोखाधड़ियों के मामलों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त रकमों के संबंध में सूचना

| बैंक का नाम | 1985 | | 1986 | | 1987 (30-9-87 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | धोखाधड़ियों की संख्या | अंतर्ग्रस्त राशि | धोखाधड़ियों की संख्या | अंतर्ग्रस्त राशि | धोखाधड़ियों की संख्या | अंतर्ग्रस्त राशि |
| | | (राशि लाख रुपए में) | | | | |
| 1. बैंक आफ बड़ौदा | 82 | 42.11 | 80 | 361.64 | 71 | 136.32 |
| 2. केनरा बैंक . | 157 | 214.82 | 132 | 162.31 | 111 | 107.91 |
| 3 सिंडीकेट बैंक . | 103 | 164.83 | 84 | 260.71 | 203 | 127.98 |
| 4. पंजाब एंड सिंध बैंक | 14 | 15.82 | 11 | 203.49 | 10 | 55.76 |
| 5. इंडियन ओवरसीज बैंक . . | 77 | 47.52 | 83 | 32 30 | 34 | 178.90 |

**Loan by IDBI to NTC**

3218. SHRI SUNIL BASU RAY:
SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI:
SHRI SUKOMAL SEN:
SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Industrial Development Bank of India has agreed to extend again loan to the National Textile Corporation for its modernisation programme;

(b) if so, what are details thereof, mill-wise and the criteria adopted in selecting these mills;

(c) whether it is also a fact that application for similar loans from ACC-Babcock, Potteries; Re-Roll Burns has been pending with the IDBI for a long time;

(d) if so, whether Government propose to ask the IDBI to expedite these loan cases soon; and

(e) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARY) : (a) and (b) The Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that institutions have agreed to take up for consideration modernisation proposals of 20 selected NTC Mills for assistance. IDBI has also reported that details such as identification of the mills to be assisted, their requirement of funds etc, are still to be finalised by NTC.

(c) to (e) ACC Babcock (ABL), had filed a winding up petition before the Bombay High Court in October 1986. IDBI has reported that